

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

द/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
37/24	212 RTA	कोटडापार	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मानसिंह	बनाम	रामदयाल	

वकील :- श्री अशोक कुमार मेहता **आदेश पत्रक** वकील:-  
 दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

18.06.2024

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ज्य सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.08.2024 को पेश हो।

5.8.24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से श्री हेमन्त पारीक एडवोकेट ने अप्रार्थीगण से तलब वाद पत्रावली को पेश की है। पत्रावली वाले जवाब प्रि.पत्र/व्याख्यानादि दिनांक 11.9.24 को पेश हो।

11.9.24

अपज पीढासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30/10/24 को पेश हो।

शेडर  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा),

30/10/24

अपज पीढासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12/11/24 को पेश हो।

शेडर  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा),

12.11.24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर/अप्रार्थीगण की ओर से श्री हेमन्त पारीक एडवोकेट का व्याख्यानादि पेश हुआ। जो शामिल तलब वाद पत्रावली विना। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के अप्रार्थीगण के हितों की रूक्ति पर अतिक्रमण करने पर आकाश होने से अंतरिम अलघापी निवेद्याना हेतु निवेदन किया है। तदन कतिवाचक उक्त पत्रकारान कुनी गई। पत्रावली एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अनुपालन किया गया। विवादित आराजो पत्रकारान...

दिनांक

17.3.25

पत्रावली पेश हुई। वक्तुलार परीकेन उपर। वकील अप्राधी ने जबकि पार्थना पत्र पेश किया जो 2170 दिनांक दिया गया। पत्रावली वास्तव बहम दिनांक 15/4/25 को पेश हो।

✍

15.4.25

पत्रावली पेश हुई। वक्तुलार परीकेन उपर वकील काठी प्रकरण को आज पत्रावली नहीं जाई है। Not Press कला जाई है। अभी का प्रकरण पत्र Not Press किया जाय। पत्रावली केवल शुभान्त होकर काउ लगी। वकील के दाखिले इफ्तार हो।

✍

Not press  
शरीर 2